11-02-2023

//नेशनल लोकअदालत खण्डपीठ कमांक–19//

प्रकरण आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री अंजना यादव के न्यायालय से आयोजित नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक–19 के समक्ष पेश।

आवेदिका द्वारा श्री हबीब खांन अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक स्वंय उपस्थित।

प्रकरण लोकअदालत में राजीनामा हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि पूर्व में आवेदिका ने उपस्थित होकर व्यक्त किया है कि उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और राजीनामा हेतु एक राजीनामा आवेदन पेश किया और व्यक्त किया कि वह आरोपी के विरूद्ध उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती हैं और और यह व्यक्त किया कि वह उक्त प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं चाहते है और राजीनामा कर उक्त प्रकरण को लोक अदालत में निरस्त किये जाने का निवेदन किया है और वह प्रकरण को आगे न चलाकर प्रकरण को यही समाप्त कराना चाहती हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त प्रकरण आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध भरण–पोषण की राशि प्राप्ति हेतु धारा–125 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा व्यक्त किया कि वह उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और राजीनामा होने के कारण प्रकरण को लोक अदालत में निरस्त किया जाने, का निवेदन किया गया है। इसलिये प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित दर्शित नहीं होता है अतः आवेदिका की ओर से किये गये निवेदन को स्वीकार कर प्रकरण को **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावें।

सही/–

सदस्य	**अंजना यादव**
श्री चंद्रभान सिंह यादव अधिवक्ता	पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ कं0–19	खण्डपीठ क्रमांक–19